भारत के सन्दर्भ में एक देश एक चुनाव : चुनौतियां एवं संभावनाएं

आमुख

भारत की चुनाव व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी और जटिल चुनाव प्रणालियों में से एक है । भारत की चुनाव प्रणाली की जटिलता का अंदाज़ा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ मतदाताओं की संख्या 81.45 लाख करोड़ से ज्यादा है । कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 930000 है । चुनाव करवाने में सुरक्षा के लिए पुलिस व अर्द्ध सैनिक बलो के सैनिकों की संख्या लगभग 12 लाख है ।[1]

एक लोकतान्त्रिक समाज की आधारशिला उस समाज की विविधता में सन्नहित होती है । समाज में धर्म, लिंग, जाति, भाषा, रंग, स्थान के आधार पर भेदभाव न हो और समाज में समरसता एवं व्यवस्था बनी रहे इसलिए आवश्यक है कि उस समाज से एक स्थान ऊपर एक सशक्त राज्य हो तथा उस राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली एक प्रतिनिध्यात्मक सरकार हो । एक सरकार, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं का सतत पालन करे, संविधानवाद के अनुसार शासन व्यवस्था चले और शासन को समाज से भी लगातार वैधता प्राप्त होती रहे इसलिये यह ज़रूरी है कि सरकार का चुनाव एक निश्चित कार्यकाल के लिए हो । नियतकालिक चुनाव किसी देश की लोकतान्त्रिक सरकार की आधारशिला होती है । इसके माध्यम से न केवल जनता को शासन में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का अवसर मिलता है बल्कि इसके साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों को भी जनता की इच्छा के अनुरूप अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का मौका मिलता है ।

एक लम्बे जन संघर्ष के बाद भारत ने आज़ादी हासिल की । स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में भारत ने वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान पर आधारित राजनीतिक शासन प्रणाली को अपनाया । यह प्रतिमान विधायिका और कार्यपालिका के समन्वय और आपसी सहयोग पर आधारित था । चूँकि भारतीय गणराज्य राज्यों का संघ है इसलिए केन्द्रीय स्तर पर एक संघ सरकार और संघ की इकाइयों के स्तर पर एक राज्य सरकार कार्य करती है । यह संघीय व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहे और सतत चलती रहे इसलिए संवैधानिक प्रावधानों के जरिये भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है ।

चूँकि भारत में लोकतान्त्रिक शासन ब्रिटेन के संसदीय मॉडल के साथ-साथ कनाडाई मॉडल पर आधारित संघात्मक व्यवस्था का समन्वय और संश्लेषण है इसलिये यहाँ विधायिकाओं के चुनाव संघ

और राज्य के स्तर पर होते हैं । प्रथम आम चुनाव के समय संसद और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित हुए थे लेकिन समय-समय पर केंद्र सरकार ने राज्यों के राज्यपाल के पद का दुरूपयोग करके या तो विधानसभा को समय से पूर्व भंग करवा दिया या फिर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया । इसके समानांतर सत्तर के दशक के अंतिम दौर में शुरू हुई गठबंधन की राजनीति के दौर में त्रिशंकु लोकसभा के गठन से सरकारें अस्थिर हुईं और आम चुनाव की आवृति बढ़ने लगी । इन दोनों कारणों से विधायिकाओं के चुनाव जल्दी-जल्दी होने लगे और 1968 में 1951 में एक साथ चुनाव होने की परिपाटी टूट गयी और अब प्रत्येक वर्ष देश के किसी राज्य या राज्यों में चुनाव हो रहे हैं । इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया ने भारत में चुनाव की संरचना एवं ढांचे में परिवर्तन की ज़रूरत महसूस की जा रही है । इसके पीछे मूल तर्क यह दिया जा रहा है कि लगातार होने वाले इन चुनावों से आचार संहिता लगने के कारण सरकारें अपना कार्य पूर्ण दक्षता के साथ कार्य नहीं कर पा रहीं हैं । इसके साथ ही '*कभी भी*' होने वाले चुनावों में व्यवस्था और सुरक्षा के पीछे बड़ा खर्चा होता है और यह '*राष्ट्रीय हित*' में नहीं है । इसके साथ ही लगातार हो रहे चुनावों के कारण आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता भी प्रभावित होती है । इन सब के कारण प्रचलित व्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन करके 'एक देश एक चुनाव' की अवधारणा का समर्थन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत राज्यों की विधानसभा तथा लोकसभा के चुनाव एक साथ ही करवाए जाने चाहियें ।

इस विचार के बरअक्स भी तर्क प्रस्तुत किये जा रहे हैं जैसे - एक देश एक चुनाव जैसी व्यवस्था के लिये किसी भी प्रकार का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था से चुनी हुई सरकार पर जनता का सतत नियंत्रण एवं संतुलन बना रहता है । एक देश एक चुनाव के विचार के विपक्ष में यह प्रबल तर्क भी प्रस्तुत किया जाता है कि यह व्यवस्था संघीय ढांचे के विरुद्ध है जहाँ राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर हावी हो जायेंगे और राज्यों के संवैधानिक स्वायतत्ता में कमी आएगी एवं शक्तियों का संघ केंद्र की तरफ झुकाव और ज्यादा बढ़ेगा।

एक देश एक चुनाव की अवधारणा के पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किये जा रहे हैं । भारत की विविधतापूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में यह अवधारणा कितनी प्रभावशाली और अनुकूल रहेगी यह एक शोध का विषय है । इसके साथ-साथ यह देखना भी रुचिकर होगा कि इस अवधारणा के पक्ष और प्रतिपक्ष में दिये गये तर्क भारत के संविधान और उसके प्रावधानों से कितना मेल खाते हैं ।

भारत में मूर्त रूप में लोकतंत्र की नींव चुनाव ही हैं । एक देश एक चुनाव की अवधारणा भारत में चुनावों की व्यवस्था से ही जुडी है इसलिये इस विषय का महत्व इस विषय का अध्ययन करना अपने आप में महत्वपूर्ण है । अवधारणा के स्तर पर यह विषय भारतीय परिस्थितियों में यह विषय काफी नूतन है इसलिये अकादमिक क्षेत्र में इस विषय के विविध पक्षों को उजागर करना ज़रूरी हो जाता है । भारत जैसे विविधतापूर्ण और लोकतान्त्रिक देश के सफलतापूर्वक कार्यकरण हेतु चुनाव प्रक्रिया अनिवार्य है । केंद्र, राज्य और स्थानीय सभी स्तरों पर नियमित चुनाव हमारे लोकतान्त्रिक ढांचे को और

मज़बूत बनाते तथा हमारी राजनीतिक कार्य निष्पादन क्षमता और ज्यादा समृद्ध बनाते हैं । अतः इस पृष्ठभूमि में केन्द्रीय और राज्यीय स्तर पर एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है । यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर है और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और समाचार एजेंसीयों की ख़बरों और सरकारी रिपोर्टों के माध्यम से एक समग्र विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है ।

'एक देश एक चुनाव' के निहितार्थ :

भारत में तीन स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली के माध्यम से जनता द्वारा जन प्रतिनिधियों के चुनाव होते हैं । संघ के स्तर पर लोकसभा , राज्यों के लिये विधानसभा तथा स्थानीय निकाय के चुनाव । एक देश एक चुनाव का सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि तीनों स्तर के चुनाव में मतदाता एक साथ एक ही दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करे ।[2]

परन्तु भारत की विधि कार्य विभाग और भारतीय विधि आयोग की 16 अप्रैल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 'एक देश एक चुनाव' का अर्थ केवल लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनावों तक ही सीमित रहेगा ।[3]

एक देश एक चुनाव का विचार समकालीन समय में बहुत से देशों द्वारा अपनाया गया गया है । दक्षिण अफ्रीका में में वहां की राष्ट्रीय सभा, प्रांतीय विधयिका, और स्थानीय निकायों के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव होते हैं । ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होते हैं । अर्थात राजनीतिक दलों को चुनाव में मिले मतों के अनुसार राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाओं में सीटें प्राप्त होती हैं । राजनीतिक दल पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देते हैं और फिर एक स्वतंत्र चुनाव आयोग पार्टी को मिले मतों के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव करती है । वहां के स्थानीय निकायों के चुनाव भी प्रत्येक पांच वर्ष में होते हैं परन्तु ये राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाओं के साथ नहीं होते हैं । दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय सभा और प्रांतीय विधायिका के लिये एक साथ ही अलग-अलग बैलट पेपर पर वोट दिए जाते हैं । स्वीडन में आम चुनाव तथा स्थानीय नगर निकायों के चुनाव एक साथ ही होते हैं । बेल्जियम के नागरिकों को पांच अलग-अलग तरह के चुनावों में वोट डालने पड़ते हैं । पहला, यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये। दूसरे, संघीय चुनाव में , तीसरे संघीय विधायिकाओं के लिए, चौथे प्रांतीय चुनाव और पांचवे स्थानीय निकायों के चुनाव । जहाँ ये सभी चुनाव संयोग से एक साथ ही होते हैं ।[3]

इस प्रकार विश्व के अनेक देशों में कानूनन या फिर संयोग से विभिन्न स्तरों पर होने वाले चुनाव एक साथ होते हैं । उपरोक्त देशों के साथ साथ ब्राजील, फिलीपिंस , बोलविया, कम्बोडिया, कोस्टारिका, कम्बोडिया, ग्वाटेमाला, इत्यादि देशों में एक देश एक चुनाव का सिद्धांत प्रचलित है ।

लेकिन इन सभी देशों में भारत के भिन्न अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है एवं इसके साथ साथ भारत की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार इन देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है एवं भारत की जनसंख्या भी तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक है ।[4]

भारत में चुनावों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं चुनावी कार्यप्रणाली :

स्वतंत्र भारत में केद्र में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सन 1952 में आरम्भ हुए थे । विधायिका के तीन सफल कार्यकाल के बाद 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण केद्र और राज्य स्तर पर एक साथ चुनाव करवाने का क्रम टूट गया । 1969 में केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग करके अवधि पूर्ण करने से पूर्व ही गिरा दिया गया और विधानसभा भंग कर दी गयी । वर्ष 1970 में लोक सभा ही अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं कर पायी और समय से पहले ही विघटित हो गयी और 1971 में नये चुनाव करवाने पड़े । इस प्रकार पहली दूसरी और तीसरी लोकसभा ही अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा कर पाई । पांचवी लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 लगाकर 1977 तक बढा दिया गया । इसके बाद आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोकसभा ने अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा किया और छठवीं, सातवीं, नौवीं, ग्यारवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोकसभा समय से पूर्व ही विघटित हो गयी । इस प्रकार से भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एक साथ चुनाव करवाने का क्रम विश्रुन्खिलत हो गया ।

भारत में निर्वाचन व्यवस्था की कार्यप्रणाली

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और नियत समय पर होने वाले चुनाव इस लोकतान्त्रिक प्रणाली का मूल एवं अभिन्न हिस्सा है । भारत में जनता के प्रतिनिधियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गयी है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 तथा 243K माध्यम से क्रमश: भारत और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गयी है । जहाँ एक ओर भारत में संसद और विधानसभा के चुनाव की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है वही दूसरी तरफ स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं ।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि का विवरण देता है और अनुच्छेद 83(2) लोकसभा की अवधि का विवरण देता है । अनुच्छेद 83(2) के अनुसार 'लोकसभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियम तारीख पाँच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा' । इसी के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 172(1) पाँच वर्ष की अवधि की बात करता है ।

इसी क्रम में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85(2)(ब) तथा 174 (2)(ब) लोकसभा तथा राज्य विधानसभा को क्रमश: राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा विघटित करने की बात कहता है । इसी के साथ साथ अनुच्छेद 356 राज्यपाल को यह अधिकार भी देता है है कि वह इस अनुच्छेद का प्रयोग करके राज्य विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है ।

एक साथ चुनाव करवाने की आवश्यकता क्यों?

समकालीन समय में भारत का चुनाव आयोग प्रतिवर्ष औसतन पाँच चुनाव आयोजित करवाता है । इससे सम्पूर्ण शासन प्रणाली चुनावी मोड में ही रहती है । अग्रलिखित बिन्दुओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि एक साथ चुनाव करवाने की आवश्यकता क्यों है ?

- एक साथ चुनाव करवाने का पहला और सर्वप्रमुख कारण चुनावों में बढ़ता खर्च है । चुनावों का बजट बढ़ता जा रहा है और चुनाव करवाने में अत्यधिक पूँजी का व्यय हो रहा है । न केवल चुनाव आयोग का बल्कि राजनीतिक दल भी चुनावों को धन बल के माध्यम से जीतने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं । एक साथ चुनाव करवाने से न केवल राजनीतिक दलों और सरकार के चुनाव व्यय में कमी आएगी बल्कि प्रतिवर्ष अलग चुनाव करवाने पर होने वाले विशाल खर्च को भी कम किया जा सकेगा । वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव पर 4500 करोड़ रूपये की लागत तय की है । इस प्रकार, एक साथ चुनाव करवा कर संसाधनों की कमी की समस्या का भी समाधान करवाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त चुनावों में यह भी देखा गया है कि पार्टी का उम्मीदवार भी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करता है । जिससे चुनावी भ्रष्टाचार प्रक्रियाओं में हावी रहता है ।
- एक साथ चुनाव करवाने से चुनावी प्रबंधन का भी कार्य आसानी से हो सकता है । निर्वाचकों की बड़ी संख्या और और उनके अनुरूप बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों की आवशयकता को ध्यान में रखते हुए एक साथ चुनाव करवाने से चुनाव में होने वाली अव्यवस्थाओं को रोका जा सकता है । इससे हो सकता है कि मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि हो तथा चुनाव के कारण होने वाले सार्वजानिक अवकाश भी कम होंगे साथ साथ चुनाव की कार्यविधियों का भी सरलीकरण होगा ।
- एक साथ चुनाव करवाने से शासन प्रक्रिया में भी होने वाली बाधा को भी कम किया जा सकेगा । इसका प्रमुख कारण है कि सरकारें केवल मतदाताओं की संख्या वृद्धि के लिए लोकप्रिय उपायों पर ध्यान केन्द्रित नहीं करेंगीं । मतदाताओं को लुभाने के लिये

राजनीतिक दल अकसर लोकहित पर ध्यान दिये बिना लोकलुभावनी मांगें मान लेते हैं । एक साथ चुनाव करवाने से मतदाताओं को थोड़े समय के लिए खुश करने के अवसर निष्फल हो जायेंगें । इस प्रकार सरकारें राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षित दावं खेलने के बजाय दीर्घकालीन संरचनात्मक उपायों पर ध्यान दे सकेगी । निर्वाचित सरकार अपने घोषणा पत्रों के वायदों को पूरा करने में ज्यादा समय दे पायेगी जो कि बेहतर शासन व्यवस्था तथा और प्रशासकीय कुशलता में सहायक होगा ।

- पूर्व न्यायमूर्ति माननीय श्री बी. पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने चुनाव कानूनों में सुधार विषय पर अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि शासन व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिये लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहियें । कार्मिक, लोकशिकायत, विधि और न्यायसम्बन्धी स्थायी समिति ने 'लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने के की व्यवहार्यता पर एक रपट वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया था । इस प्रतिवेदन में तकनीकी अवरोधों को दूर करके एक राष्ट्रीय सहमित के साथ पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश की गयी थी ।
- चुनावों के दौरान जिस क्षेत्र राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ आदर्श आचार सहिंता लागू कर दी जाती है । आचार सहिंता लागू कर देने से केंद्र तथा जिस राज्य में चुनाव होने होने होते हैं वहां की राज्य सरकार के विकास सम्बन्धी सारे कार्य रूक जाते हैं । इस सम्बन्ध में ये शासन के सामान्य काम काज को भी प्रभावित करता है । एक साथ चुनाव होने के बाद आदर्श आचार आचार सहिंता कम समय के लिये ही लागू होगी तथा नीतियों के कार्यान्वयन और शासन के काम काज में आने वाले गतिरोध को भी कम करने में सहायता मिलेगी
- बार बार होने वाले चुनावों में सामान्य जन-जीवन में भी बाधा उत्पन्न होती है और अनिवार्य सेवाओं के कार्यकरण पर भी प्रभाव पड़ता है । राजनीतिक रैलियों के आयोजन से शहरों में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था फैलती है । यदि एक साथ चुनावों के आयोजन होता है तो एक निश्चित समय में एक निश्चित समय तक ही ऐसा व्यवधान पैदा होगा ।
- एक साथ चुनाव करवाने से चुनाव सम्बन्धी कार्यों में प्राय: लम्बे समय तक तैनात होने वाली महत्वपूर्ण श्रमशक्ति इस कार्य से मुक्त हो जायगी । निर्धारित तिथियों पर एक साथ चुनाव करवाने से इस श्रमशक्ति और सरकारी मशीनरी का उपयोग और बेहतर तरीके से हो पायेगा । इसे अतिरिक्त, यदि चुनाव हेतु एक समय सीमा तय कर दी जाये तब इससे उन्हें अर्थव्यवस्था और समाज के हित में सार्थक और महत्वपूर्ण योगदान देने के लिये काफी समय मिलेगा ।

- एक साथ चुनाव लोकतान्त्रिक प्रकियों में भी सुधार के पक्षधर है । यह विचार इस बात का भी समर्थन करता है कि सरकार को अपदस्थ करने की आवश्यकता को दूर करने की ज़रूरत है । अविश्वास प्रस्ताव के बजाय, अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी एक नया तंत्र लागू किया जाना चाहिये जिसमे सत्ताधारी दल वही रहे लेकिन सम्बंधित व्यक्ति को पद से हटाकर उसके स्थान पर नये व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाये । इस प्रकार पूरी सरकार को अपदस्थ नहीं किया जाये तथा फिर से चुनाव करवाने की जरुरत ही न पड़े । एक साथ चुनाव करवाने से इस प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य सफल होगा ।
- एक साथ चुनाव होने से केंद्र और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल एक समान हो जायेगा । यदि पाँच वर्ष में एक बार, साथ-साथ चुनाव करवा दिए जाएँ तो चुनी हुई राज्य सरकारों पर केंद्र की मनमानी आसानी से नहीं चल पायेगी और उन्हें आसानी से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा । अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग कम होगा, संघवाद मज़बूत होगा और सरकारों को स्थिरता प्राप्त होगी ।

<u>एक साथ चुनाव करवाने की खामियां</u>

- एक साथ चुनाव करवाने में भारत निर्वाचन आयोग ने यह मुद्दा उठाया है कि एक साथ चुनाव करवाने से बड़े पैमाने पर एक साथ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन और वीवी पेट मशीनों की आवश्यकता होगी और आयोग के अनुसार इसकी लागत अनुमानत: 9284.15 करोड़ रूपये होगी । प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात इन मशीनों को बदलने की ज़रूरत होगी । इसके अतिरिक्त मशीनों के भण्डारण से उनके भण्डारण लागत में वृद्धि होगी जिससे चुनाव सम्बन्धी व्यय में और ज्यादा वृद्धि होगी ।
- यदि राज्य विधानसभा या लोकसभा अपनी निर्धारित तिथि से पहले भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति का सामना किस प्रकार किया जायेगा ? इसका कोई रास्ता अभी तक नहीं निकाला गया है ? क्या ऐसी समस्या का समाधान करने में होने वाला व्यय कम होगा या इसकी लागत भी अलग-अलग चुनाव करवाने में होने वाले व्यव के बराबर होगी, क्योंकि ऐसी हालत में इसका प्रयोजन ही व्यर्थ हो जायेगा । वित्तीय परिदृश्य की एक उज्ज्वल तस्वीर प्राप्त करने के लिये इस स्थिति को किफायती बनाये जाने की ज़रूरत है ।
- हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए एक साथ चुनाव करवाना संभवतः सबसे बड़ी चुनौती होगी । एक, संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 171(1) के संयुक्त पाठन से यह स्पष्ट होता है कि आपातकाल की घोषणा के मामले में अतिरिक्त लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को पाँच वर्ष से अधिक के लिये नहीं बढाया जा सकता है । एक साथ चुनाव करवाने के मामले में या तो लोकसभा का कार्यकाल या

कुछ राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाना होगा किन्तु संविधान के उपरोक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं है । तत्कालीन सरकार को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सभा का विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता होती है । अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय बहुमत नहीं होने पर सरकार गिर सकती है । इसके अतिरिक्त, लोक सभा और राज्य विधानसभा के चुनावों का एक साथ आयोजन करवाने के लिए न तो लोक सभा और न ही राज्य विधानसभा को अपने समय से पहले भंग किया जा सकता है । दो, संविधान में न तो राज्य विधान सभा और न ही लोक सभा के साथ चुनाव करवाने और न ही मध्यावधि चुनाव करवाने का प्रावधान है ।

- कोई सरकार तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक इसे संसद का विश्वास मत प्राप्त हो । एक साथ चुनाव करवाने की व्यवस्था की व्यवस्था तभी कार्य कर सकती है जबकि सरकारों का कार्यकाल, संसद के विश्वासमत की बाध्यता के बिना पाँच वर्षों के लिए निर्धारित किया जाये । यह सिद्धांत कार्यपालिका के ऊपर विधायिका के नियंत्रण हेतु एक महत्वपूर्ण साधन की परिकल्पना को नकारता है ।
- केंद्र और राज्य स्तर पर एक साथ चुनाव करवाने से इस बात की काफी संभावनाएं हैं कि स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आपस में मिश्रित हो जायेंगे । अलग-अलग समय पर चुनाव होने से लोगों को इन मुद्दों में फर्क करने का अवसर मिलता है । राज्यों की विधानसभाओं के मुद्दे राज्य सूची और विशेषकर राज्य सरकार के दायरे में आने वाले मुद्दों के ऊपर लड़े जाते हैं जबकि लोकसभा के चुनावों में मुद्दों का दायरा व्यापक और राष्ट्रीय स्तर का होता है आलोचकों का यह तर्क है कि एक साथ चुनाव करवाने से मतदाताओं का रुख इस प्रकार से प्रभावित हो सकता है कि मतदाता राज्य चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर मतदान करें । इससे बड़े राष्ट्रीय दलों को राज्य और लोक सभा दोनों स्तर पर चुनाव जीतने में मदद मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय दल जो कि प्राय: स्थानीय सामाजिक और आर्थिक समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रभावहीन हो जायेंगें । इससे प्रतिनिधिक भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था का महत्व कम हो जायेगा ।
- भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में जनता की इच्छा सर्वोपरि है और यदि किसी स्थिति में इसके साथ समझौता किया जाता है तो लोकतंत्र के कार्यकरण में सुधार करने के सारे प्रयास विफल हो जायेंगें । मतदाता पाँच वर्ष के लिए सरकार चुनते हैं परन्तु, व्यावहारिक कारणों से सरकार गिर जाती है । किसी भी कीमत पर जनता की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिये । पाँच वर्षों के नियत कार्यकाल के लिए एक साथ चुनाव करवाने में सरकार में विश्वास या असंतोष व्यक्त करने का जनता का अधिकार

सीमित हो जाता है और इससे कोई सरकार चुनने या उसे बर्खास्त करने का जनता का अधिकार छिन जाता है । '

- राजनीतिक दल प्रत्येक वर्ष चुनाव में भागीदारी करने के लिए तैयार रहते हैं । यह एक अच्छी प्रक्रिया है क्योंकि इससे उम्मीदवार तथा राजनीतिक दल की ओर से जवाब्देशी सुनिश्चित होती है । वे हर बार बेहतर ढंग से कार्य करने का प्रयास करते हैं, अपने एजेंडे में सुधार करते हैं , मतदाताओं को अपनी मंशाएं बताते हैं, अपने किये गये कार्यों का प्रसार करते हैं, कमियां दूर करने का प्रयास करते हैं, तथा अपनी पहले की गयी गलतियों को सुधारते हैं । इस प्रकार उनकी दक्षता में वृद्धि होती है; मतदाता वास्तविक शासक बनते हैं और राजनीतिज्ञों को जन सेवा की उनकी भूमिका ध्यान में रहती है ।
- प्राय: यह माना जाता है कि चुनाव देश के वर्तमान रुख को बताते हैं । यदि केंद्र में पाँच वर्ष या उसके आस पास जितनी पहले चुनी गयी सरकार है तो वह उस समय के जनादेश को नहीं दर्शाती है जबकि राज्यों के चुनाव इसका अवसर प्रदान करते हैं । लोकतंत्र अलग-अलग चुनाव में प्रमुख मुद्दों के बारे में समय-समय पर जनता का मत जानने का एक अधिक कारगर तरीका है । अत: यह भारत की सामाजिक विविधता पर ध्यान देने के लिए आवश्यक होनें वाली राजनैतिक विविधता के विपरीत है ।
- यदि किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव, आम चुनावों के साथ होते हैं, तो इसकी सम्भावना है कि परिणाम लगभग आम चुनावों के समान ही होंगें । इसके चलते, संसद का स्थाई सदन राज्य सभा, जो केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और लोक सभा पर नियंत्रण रखता है, केंद्र में सत्ताधारी दल के सदस्यों का ही प्रभुत्व होने की सम्भावना होती है व इससे केंद्र में दो सदन की अवधारणा खंडित होने की संभाव्यता है ।
- विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और संघवाद की वास्तविक भावना के अनुरूप पार्टियों और नेताओं का आंकलन राज्य में उनके द्वारा किये गये कार्य के सन्दर्भ में किया जाता है । उन्हें आम चुनाव के साथ करवाए जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय परिदृश में दब जाते हैं । इसका अर्थ हुआ कि राजव्यवस्था के संघीय चरित्र से पीछे हटना, जिससे बचना बेहतर होगा ।
- चुनाव लोगो के लिए बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करते हैं । जिससे ज़मीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है । समूचे देश में पाँच वर्षों में केवल एक बार चुनावों के आयोजन से यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा ।

एक देश एक चुनाव के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में विचार एवं विशेषज्ञों का मत[5]

- अन्नाद्रमुक ने इस विचार का कुछ विमर्श तथा गहन चर्चाओं के साथ सिद्धांतत: समर्थन किया है ।
- असम गण परिषद ने इस विचार के समर्थन में तर्क देते हुए कहा है कि इससे छोटे दलों पर वित्तीय भार कम होगा और राज्यों पर लागू होने वाली आदर्श आचार सहिंता हेतु समय अवधि कम होगी जो अकसर नीति का अभाव लाती है तह विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मंद करती है ।
- तृणमूल कांग्रेस ने यह कहते हुए इस विचार को नकार दिया कि चुनावों को स्थगित किया जाना गैर-लोकतान्त्रिक और असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए पाँच वर्ष के लिये कार्यकाल का प्रावधान किया गया है । तथापि, दल पंचायत एवं नगर निकायों के चुनाव साथ-साथ करवाने का समर्थन करता है ।
- सीपीआई इस विचार को अवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक कह कर नकार दिया है । प्रस्ताव आदर्श दिखता है परन्तु इसमें कई व्यवहारिक समस्याएं हैं । वर्तमान स्थिति में एक साथ चुनाव करवाना व्यवहारिक नहीं है ।
- द्रमुक ने कुछ सुझावों के साथ इस विचार का समर्थन किया है ।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विचार को अव्यवहारिक बताया है । साथ ही इसके कारण देश की विविधता और लोकतंत्र में असंतुलन हो जायेगा ।
- इंडियन यूनियन मुसलिम लीग ने इस विचार का समर्थन किया है और इसे देश के संसाधनों में में बचत के लिए उपयोगी माना है ।
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी इस विचार को अव्यवहार्य माना है ।
- शिरोमणि अकाली दल ने त्रिशंकु विधानसभा के मामले में संभावित कार्रवाही सम्बन्धी स्पष्टता जैसे मुद्दों को इंगित करने के बाद विचार का समर्थन किया है ।

एक देश एक चुनाव के बारे में विशेषज्ञो की राय [6]

पूर्व चुनाव आयुक्त एस. वाय. कुरैशी के अनुसार " संसाधनों और चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से ये विचार बहुत आसान है । खासकर चुनाव आयोग के लिए बहुत आसान है । चूकिं चुनावी मशीनरी एक है इसलिए चुनाव आयोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए । परन्तु मुद्दा संवैधानिक और कानूनी है । भारत अभी सभी राज्यों के साथ लोकसभा के चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है । यदि सभी चुनाव एक साथ करवा भी जायें और तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकसभा में स मय से पहले

कोई सरकार नहीं गिरेगी । तब ऐसी हालत में बाकि 28 राज्यों का क्या होगा । इस बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है ।" आगे इस विचार के पक्ष और विपक्ष में बताते हुए कुरैशी जी कहते हैं कि " जब देश के किसी हिस्से में हर समय जब चुनाव होते हैं तो इससे राजनीतिक दल अनैतिक कार्यों में विल्पत हो जाते हैं और काले धन का बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है । इसी के साथ साथ बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिकता भी फैलाई जाती है इसलिए बार बार चुनाव से देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर प्रश्न-चिह्न लगता है । यदि हमेशा हर समय चुनावी सरगर्मियां हावी रहेगीं तो देश को अंततः नुकसान ही भुगतना पड़ेगा । परन्तु इसके साथ साथ कुछ एक देश एक चुनाव के विचार के साथ समस्याये भी हैं । एक साथ चुनाव होने के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद वापस जनता में नहीं आते हैं । इसके साथ साथ चुनाव में खर्चा केवल प्रशासन का ही नहीं होता है बल्कि राजनीतिक दल भी चुनाव में खूब पैसा खर्च करते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुँचता है" ।

पर कुरैशी जी पक्ष विपक्ष के बीच एक दूसरा रास्ता देते हैं । वे कहते हैं हैं कि "चुनाव में अत्यधिक खर्चा इस कारण होता है कि चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति पर तो खर्चे की सीमा है लेकिन राजनीतिक दलों पर खर्च करने की कोई सीमा नही हैं । इस पर पाबंधी होनी चाहिये" । साथ ही पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने पर वैसी परिस्थितियां वापस बन सकती हैं जैसी 1967 हुई थीं । अर्थात भारत के संघीय ढांचे को नुकसान पहुँच सकता है ।

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप संवैधानिक और इसके कानूनी पक्ष की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि " संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय एक साथ चुनाव की बात ही सोची थी । इस सिद्धांत को व्यवहारिकता में लागु करने में कोई कठनाई नहीं है और न ही इसके लिए कोई संविधान संशोधन की ज़रूरत है । 1967 तक तो राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो एक साथ ही होते रहे हैं । अनुच्छेद 83(2) और 172(1)में लोकसभा और राज्य विधानसभा का एक निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष दिया हुआ है । इसलिए संविधान में विधायिका का अधिकतम कार्यकाल निश्चित है जब तक कि उसे इस समय से पहले विघटित नहीं कर दिया जाये । पर इसके साथ साथ सभी राजनीतिक दलों का मसला भी है । मैं हमेशा से इस सिद्धांत का पक्षधर रहा हूँ । पर इसके साथ साथ कई और सुधार भी करने होंगें । पर इस सिद्धांत को धीरे-धीरे लागु करना सही होगा न कि एक बार में" । इसके साथ नये सुधारों की गुंजाईश होते हुए कश्यप ये बात कहते हैं कि " राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री का चुनाव सदन के द्वारा होना चाहिए जिससे कि विधायिका का कार्यकाल स्वतः ही बढ़ जायेगा । जैसे जर्मनी में होता है । साथ ही रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव हो । जिसमे अविश्वास प्रस्ताव लाने के साथ जो उसके बाद में आने वाले मंत्रिपरिषद का नाम देना ज़रूरी होगा" ।

पत्रकार राहुल देव कहते हैं कि इस सिद्धांत को लागू करने में फायदा ज्यादा है । हर व्यवस्था में कमियां होती हैं लेकिन इस व्यवस्था में फायदे ज्यादा नजर आते हैं । जब हर समय देश किसी न किसी चुनाव के प्रक्रिया में रहता है तो उससे देश का विकास बाधित होता है । और खर्च बचने के साथ साथ

शासन संचालन में भी फायदा होगा" । अपनी बात को और ज्यादा विस्तृत करते हुए राहुल देव कहते हैं कि " एक देश एक चुनाव का मतलब बिलकुल ये नहीं होना चाहिए कि सरकार किसी भी हालत में पूरे पाँच साल चले नहीं तो लोकतंत्र अधिनायक तंत्र में परिवर्तित हो जायेगा । किसी भी व्यवस्था में ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार पाँच साल ही चले । यदि सरकार चलाने वाले अक्षम हो जाये या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हों तो सरकारों को गिरना लाज़मी है" ।

कानून मंत्रालय के पूर्व सचिव पी के मल्होत्रा कहते हैं कि " यह विचार पहले भी कई बार देश के सामने आया है । मैं दो चीजों पर जोर देना चाहूँगा पहला इच्छा और दूसरा व्यवहारिक पक्ष । मतदाता जब चुनाव के लिये एक साथ वोट डालता है तो हो सकता है कि उसका मन्तव्य किसी एक पार्टी के लिये चाहे वो राज्य स्तरीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो एक तरफ झुक सकता है । व्यवहारिक पक्ष में संविधान सर्वोपरि है आज फिर से 1951 वाली व्यवस्था लागू करने हेतु संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और सभी पार्टीयों को एक साथ आना होगा जो कि समकालीन दौर में संभव ही नहीं है" ।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के संस्थापक जगदीप चोकर कहते हैं कि " चाहे बात एक साथ चुनाव की हो या राज्य में कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की, सबसे अहम काम संसद और सम्बंधित राज्य का है । कानून तो संसद में ही बनते हैं । मगर हकीकत यह है कि कानून बनाने में राजनीतिक अडचने हैं । मुख्य विपक्षी दल सहित कई पार्टियाँ इसके लिये तैयार नहीं हैं । ऐसे में भाजपा कोई प्रस्ताव यदि संसद में पेश करती है तो पास होना मुश्किल होगा । लोकसभा और राज्यसभा में संविधान संशोधन के लिये दो-तिहाई बहुमत ज़रूरी है । अगर लोकसभा में सभी सांसद प्रस्ताव पर वोट करें तो 362 वोट दो-तिहाई वोट होंगें । अभी हाल ही में हुए विश्वासमत के समय सरकार को लोकसभा में 325 वोट मिले थे । ऐसे में लोकसभा में यह प्रस्ताव पास करवाने के लिये 37 और सांसदों के समर्थन की जरूरत सरकार को होगी । इसी तरह राज्यसभा में दो-तिहाई वोट की संख्या 135 होती है । जबकि यहाँ एनडीए के 113 सांसद ही हैं । इस हिसाब से दोनों ही सदनों में सरकार के लिये काफी दिक्कतें हैं । संयुक्त सत्र बुलाये जाने पर भी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलेगा । इस पर लॉ कमीशन के चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस डॉ. बी. एस. चौहान कहते हैं " लगभग सभी राजनैतिक दलों ने इस मुद्दे पर अपनी राय लॉ कमीशन को बता दी है । उन्होंने कहा है कि एक साथ चुनाव करवाने हैं तो संविधान में कई संशोधन करने होंगें जो फिलहाल व्यवहारिक नहीं दिखता है । इतना ही नहीं संविधान में संशोधन के लिए राज्यसभा में आवश्यक संख्या बल भी केंद्र सरकार के पास नहीं है । [7]

निष्कर्ष

भारत में साथ-साथ चुनावों का अर्थ होगा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल का निश्चित अवधि का होना । निश्चित कार्यकाल के साथ, अमरीका में राष्ट्रपति के चुनाव की समान ही,

चुनाव की निर्धारित तिथियों तथा गणना की घोषणा की जानी पड़ेगी । जिसके लिये संविधान में विशेष बहुमत के साथ संशोधन करना पड़ेगा । जो कि भारत के संघीय व्यवस्था, मूल ढांचे तथा संविधान के भावना के विरोध में होगा । इसके साथ ही इस व्यवस्था को अपनाये जाने से भविष्य में भी कई समस्याएँ आ सकती है । पहली समस्या राज्य विधानसभाओं के बची हुई समय अवधि को समायोजित करने में परिलक्षित होगा जिनकी अवधि वर्तमान लोक सभा की अवधि से भिन्न है । इस विचार के किसी प्रस्ताव में यह बात तय नहीं है कि राज्य विधानसभाओं के बचे हुए कार्यकाल का क्या होगा...? क्या इन विधानसभाओं की अवधि को कम किया जायेगा या कुछ बढाया जायेगा । इसके लिए ही प्रावधान करने पड़ेंगें ।

साथ-साथ चुनाव कराये जाने से कुछ संवैधानिक प्रश्न भी उठेंगें । संविधान में केवल आपातकाल के अलावा विधायिका के कार्यकाल को बढ़ाये जाने की अनुमति नहीं है । तथापि, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 तथा 15 के अनुसार लोकसभा/ राज्य विधानसभा के चुनाव 6 माह पहले करवाए जा सकते हैं । राज्य सभा की कार्मिक, लोक शिकायत , विधि और न्याय सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति के 79 वें प्रतिवेदन में एक दशक पहले ही साथ साथ चुनाव करवाए जाने की अव्यावहारिकता के सम्बन्ध में उल्लेख हुआ है । पर इसके साथ साथ इस प्रतिवेदन में चुनावों की आवर्ती कम करने के बारे में ज़रूर बात हुई थी । ताकि जनता को बार बार होने वाले चुनावों की परेशानियों को न झेलना पड़े ।

जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया गया है कि भारत के स्वतंत्रता के समय भी सारे देश में एक साथ चुनाव होते थे परन्तु राज्यपाल की शक्तियों तथा अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्यों की सरकारों को गिराया गया तथा विधानसभाओं को भंग किया गया । यदि देश इस एक साथ चुनाव के विचार को लेकर आगे बढ़ता है तो इस बात की कोई सुनिश्चितता नहीं है कि केंद्र सरकारे फिर से ऐसा नहीं करेंगी । इस प्रकार दीर्घावधि में साथ-साथ चुनावों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

इस मुद्दे पर एक पेचीदगी यह भी है कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों में सहमति नहीं है । जब तक राजनीतिक दल इस अवधारणा के विचार पर एकमत नहीं हो जाते हैं तब तक यह विचार कपोल कल्पना ही लगता है ।

भारतीय लोकतंत्र के सुचारू रूप से कार्यकरण में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का महत्वपूर्ण योगदान है । जहाँ एक ओर राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ध्यान में चुनाव लड़ते हैं वहीँ क्षेत्रीय दल राज्य और क्षेत्रीय आकांशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । एक साथ चुनाव होने पर इस बात की पूरी आशंका है कि क्षेत्रीय स्तर के दल और स्थानीय स्तर की जनता के मुद्दे हाशिये पर चले जायेंगें और लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचेगी ।

लोकतंत्रात्मक शासन का अभिप्राय केवल नियत समय पर चुनाव ही नहीं होता हैं । एक बेहतर लोकतंत्र वह होता है जहाँ जनता शासन में लगातार शासन में हिस्सेदारी करती है और एक सक्रिय नागरिक की भूमिका अदा करती है । अरस्तु ने अपनी कालजयी कृति '*पॉलिटिक्स*' ही नागरिक उसे माना है जो कि शासन में लगातार और सक्रिय भागीदारी करे । लोहिया के अनुसार जिंदा कौम पाँच साल इंतजार नहीं करती हैं । जहाँ एक देश एक चुनाव का विचार बिलकुल अव्यवहारिक है वहीँ दूसरी और लोकतंत्र के मूल विचार से भी मेल नहीं खाता है । हमारे देश के संवैधानिक ढांचे में सरकारें पाँच साल के लिए चुनी जाती हैं और जब विधायिका का विश्वास सरकार पर खत्म हो जाता है तो मध्यावधि चुनाव होते हैं और इस प्रकार नई सरकार बनती है । इस तरह जनता को लगातार नये विकल्प तलाशने का मौका मिलता है । 'एक देश, एक चुनाव' के नाम पर उसके इस विकल्प को खत्म करने की वकालत कैसे की जा सकती है? उसके नाम पर देश की लोकतांत्रिक विविधताओं और संसदीय व्यवस्था को भी खतरे में कैसे डाला जा सकता है?

> वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी के कार्यकारी संपादक रवीश कुमार अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि "यह एक बोगस और बकवास मुद्दा था । अपने आप में नहीं बल्कि जिस तरह से बिसात पर पासा बनाकर फेंका गया । उससे समझ गया था कि यह बोगस मुद्दा है । आज जब एक अंग्रेज़ी अख़बार में छोटी सी ख़बर देखी तो समझ आ गया कि मेरा मानना कितना सही था । चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 2019 में लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है । चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक साल तो कानून बनाने में लग जाएगा । उसके बाद चुनाव आयोग को भी तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए । फिलहाल हम लोकसभा का ही चुनाव सोच कर 2019 की तैयारी कर रहे हैं" ।[8]

इस प्रकार चुनाव आयोग ने भी एक साथ चुनाव करवाने की बात को सिरे से ख़ारिज कर दिया । इसकी प्रमुख वजह तकनीकी दिक्कतें भी हैं । एक साथ चुनाव करवाने जितने संसाधन भी मौजूद हैं ...? चुनाव आयोग को ज्यादा संख्या में ईवीएम, ज्यादा संख्या में वीवीपेट मशीनों की ज़रूरत होगी । इतनी कि पहली बार में ऐसा करने पर 4555 करोड़ रूपये ज्यादा लग सकते हैं । इसके अतिरिक्त 9.4 लाख वोटिंग कण्ट्रोल यूनिट्स स्थापित करनी होंगी । यह आंकलन चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को एक साथ रखते हुए किया है । इन राज्यों में सुरक्षा इंतजाम भी साथ करने होंगें । इस प्रकार एक साथ चुनाव करवाने का जो मूल तर्क दिया जाता है कि इससे पैसा बचेगा वो ख़ारिज हो जाता है और यह विचार किसी भी प्रकार से व्यवहार्य नहीं है ।

संदर्भ सूची

1. https://www.bbc.com/hindi/mobile/india/2014/04/140402_election2014spl_india_elections_in_numbers_adg.shtml
2. देखें 'एक देश एक चुनाव' पर नीति आयोग की रिपोर्ट
3. देखें भारत सरकार की विधि विभाग और भारतीय विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट
4. वही.
5. देखें 'एक देश एक चुनाव' पर भारत के विधि आयोग की 8मई 2018 की रिपोर्ट
6. देखें राज्यसभा टेलीविज़न का कार्यक्रम देश देशांतर दिनांक 14 अगस्त 2018
7. दैनिक भास्कर, रविवार, 19 अगस्त 2018 , उदयपुर.
8. https://khabar.ndtv.com/news/blogs/why-not-i-debate-on-one-nation-one-election-1905666

अन्य उपयोगी वेब लिंक

- https://www.thequint.com/news/politics/simultaneous-elections-in-india-what-political-parties-think
- https://www.thequint.com/explainers/one-nation-one-poll-pros-and-cons-of-simultaneous-elections
- https://adrindia.org/content/%E2%80%9Csimultaneous-elections-lok-sabha-and-state-assemblies-would-destroy-federalism%E2%80%9D-say-experts
- https://www.youtube.com/user/adrspeaks
- https://www.jagranjosh.com/current-affairs/simultaneous-election-in-india-1483686378-1
- http://www.indiafoundation.in/a-case-for-simultaneous-elections/
- https://indianexpress.com/article/india/law-commission-simultaneous-rajya-sabha-lok-sabha-polls-election-commission-5333471/
- https://www.orfonline.org/expert-speak/simultaneous-elections-idea-good-but-is-it-practical/
- https://www.orfonline.org/expert-speak/44208-simultaneous-elections-mere-greed-not-a-necessity/
- https://www.frontline.in/politics/article24441137.ece
- https://www.orfonline.org/hindi-post/chief-election-commissioner-india-commission/
- https://satyagrah.scroll.in/article/112715/drawbacks-of-holding-general-election-with-assembly-election
- http://thewirehindi.com/33660/one-nation-one-election-harmful-for-democracy/